

19/7/2024

पन्नापली में शं दुई वादी क प्रोसेवाई एवं उनके  
अधिकार अनुपास्त्रि है। उनको न्यायालय में  
वाट-वाट सावाज दिलवाइ गई, परन्तु न्यायालय  
समय तक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। अतः  
प्रकरण आदेश प्रणियम उक्त अन्तर्गत ठाकम  
हाजरी व ठाकम पैरवी में खारिज करी जाती  
है। पन्नापली में सुमा होकर नम्बर स  
कम हो तथा फलट कारियल हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सैथल